विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–03 का उत्तरः–

	प्रश्न	उत्तर
03.	(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद–हरदोई के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र सण्डीला में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की सांठ–गांठ के चलते दिसम्बर, 2023 को 17 हजार लीटर नकली/सिंथेटिक दूध की फैक्ट्री पकड़ी गयी थी?	जी नहीं। दिनांक 02.12.2023 को मे0 अभिषेक डेयरी पर विभाग द्वारा छापेमारी के दौरान दूध में मिलाने हेतु अधिक मात्रा में अपमिश्रक व सारबिटाल पाया गया। तब मौके पर ही 17000 लीटर दूध में मिलावट की प्रबल संभावना के दृष्टिगत, जनहित में विनष्ट करा दिया गया था। खाद्य विश्लेषक लखनऊ द्वारा संग्रहित नमूनों को असुरक्षित एवं अवमानक घोषित किया गया। उक्त के दृष्टिगत उपरोक्त फर्म का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से दिसम्बर 2023 को निलम्बित किया गया एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रतिष्ठान के विरूद्ध अपराध की बारम्बारता के दृष्टिगत प्रतिषेध आदेश पारित किया गया, तत्पश्चात खाद्य लाइसेंस दिनांक 03.02.2024 को निरस्त किया गया। प्रतिषेध आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में वाद विचाराधीन है।
	(ख) क्या रिफाइण्ड व यूरिया से निर्मित हो रहे दूध का सालों से विभाग की अनदेखी/ मिली भगत से कारोबार संचालित किया जा रहा था?	जी नहीं।
	(ग) क्या जून, 2018 में भी सण्डीला में 4 हजार लीटर नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफॉश एवं कई कुन्तल नकली मावा की फैक्ट्री पकड़ी गयी थी?	जी नहीं। जून 2018 में नही बल्कि फरवरी 2018 में उक्त खाद्य प्रतिष्ठान पर छापामार कार्यवाही कर कुल 12 नमूनें एवं मार्च 2018 में 01 नमूना विश्लेषण हेतु संग्रहित किया गया था।
	(घ) यदि हाँ, तो क्या विभागीय उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उक्त नकली दूध/मावा बनाने वाली फैक्ट्री कब से संचालित थी तथा विभाग द्वारा इनके विरूद्ध सैम्पल कब–कब भरे गये, यदि नहीं तो	मेसर्स अभिषेक डेयरी को अनुज्ञप्ति दिनांक 26.11.2015 को जारी की गयी। दिनांक 26.04.2017, दिनांक 15.02.2018, दिनांक 17.02.2018, दिनांक 23.02.2018, दिनांक 15.03.2018, दिनांक 01.02.2020, दिनांक 25.03.2021, दिनांक 30.12.2021, दिनांक 02.11.2022, दिनांक 21.03.2023, दिनांक 24.07.2023 तथा दिनांक 02.12.2023 को उक्त प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा

इसके लिये उत्तरदायी कौन है?	अधिकारियों की टीम द्वारा निरीक्षण करते हुये विश्लेषण हेतु नमूनें संग्रहित किये गये।
(ङ) क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराकर जनपद स्तर पर उत्तरदायी अधिकारियों को स्थानांतरित कर जाँच करायेंगी जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जनता को शुद्ध चीज उपलब्ध हो सकें?	प्रश्न नही उठता।
(च) यदि हाँ, तो कब तकं?	उपरोक्तानुसार।

29.07.2024
(केशव प्रसाद मौर्य)
नेता सदन, विधान परिषद
एवं उप मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

(योगी आदित्यनाथ)
मुख्य मंत्री।